प्रेस विज्ञप्ति

23.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के भाग के रूप में दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 20-09-2024 और 21-09-2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है।

ईडी ने मई से जुलाई, 2024 के महीनों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। आज तक दर्ज और सत्यापित एफआईआर के अनुसार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमानित राशि लगभग 168 करोड़ रुपये है। डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य के पास था। डीएमसीएसएल ने 12% से 14% तक के उच्च रिटर्न का वादा करके भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं। हालांकि, निवेशकों को धोखा दिया गया और उनके धन को आपराधिक साजिश रचकर अपने निजी लाभ के लिए सोसायटी के प्रबंधन द्वारा गबन कर लिया गया।

ईडी की जाँच में पता चला है कि सुरेश कुटे ने दिव्ययन दास शर्मा के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें कथित तौर पर कुटे समूह की संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के जरिए लक्जमबर्ग के मेसर्स मिनवेन्टा रिसर्च से पांच साल में 10,000 करोड़ रुपये की फंडिंग का वादा किया गया था। इस योजना से संबंधित धोखाधड़ी वाले दस्तावेज डीएमसीएसएल के निवेशकों के बीच भी वितरित किए गए थे ताकि वे सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करें , इस झूठे आश्वासन के साथ कि डीएमसीएसएल के सभी निवेशकों को राशी चुका दिया जाएगा। यह भी पता चला है कि इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल अधिकारियों को गुमराह करने और कुटे समूह को वित्तीय रूप से सक्षम के रूप में पेश करने के प्रयास के रूप में माननीय उच्च न्यायालय और एनसीएलटी सहित विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 09.08.2024 को इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था और 1.73 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया था और साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। इस मामले में अब तक कुल जब्ती 9.2 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।